वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2013–2014)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 2430158
वेबसाईट : www.mperc.nic.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	कार्यकारी संक्षेपिका	03
2.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की प्रमुख विशेषताएँ	07
3.	वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन	19
4.	अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड	20
	परिशिष्ट–1	23
	परिशिष्ट–2	24
	परिशिष्ट–3 (अ, ब, स)	25–27
	परिशिष्ट–4	28

अध्याय – 1

कार्यकारी संक्षेपिका

1.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया था। तत्पश्चात्, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 में विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है ।

1.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रति वर्ष एक बार विगत वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जाती हैं तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है।

1.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तदनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 की गतिविधियों का सारांश

1.4 वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने निम्न टैरिफ आदेश जारी किये हैं :

(क) विद्युत उत्पादन टैरिफ के संबंध में जारी आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	मेसर्स बी.एल.ए. पॉवर (प्रा.) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 14, वर्ष 2013** में आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2012 द्वारा मेसर्स बी.एल.ए. पॉवर (प्रा.) लिमिटेड की उत्पादन इकाई क्रमांक एक हेतु अवधारित विद्युत उत्पादन दर पर अनन्तिम विद्युत देयक जारी रखने हेतु आदेश	02.04.2013
2	मेसर्स जय प्रकाश पॉवर बेंचर्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 40, वर्ष 2012** के अंतर्गत जे.पी. बीना 2 x 250 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र चरण एक, इकाई क्रमांक 2 के अनन्तिम टैरिफ के अवधारण बाबत् आदेश	29.06.2013
3	एम.पी. पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 15, वर्ष 2013** के अंतर्गत सतपुड़ा ताप विद्युत गृह एक की इकाई क्रमांक 3 एवं 5 को अक्रियाशील किये जाने के फलस्वरूप उत्पादन टैरिफ के विभक्तीकरण संबंधी आदेश	09.07.2013

4	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 18, वर्ष 2013** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित ऊर्जा के मध्यप्रदेश के 57 प्रतिशत अंशदान के विक्रय के संबंध में अनन्तिम टैरिफ के अनुमोदन हेतु आदेश	06.08.2013
5	एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 17, वर्ष 2013** के अंतर्गत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन आदेश	26.09.2013
6	एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 11, वर्ष, 2013** के अंतर्गत 2 x 250 मेगावाट सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र सारणी की इकाई नं. 10 द्वारा उत्पादित ऊर्जा के विक्रय हेतु अनन्तिम टैरिफ के अवधारण हेतु आदेश	08.10.2013
7	एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 37, वर्ष 2012** के अंतर्गत सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह इकाई क्रमांक 10 एव 11 तथा सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह (चरण 1 एवं 2) हेतु एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के साथ निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध के अनुमोदन संबंधित आदेश	30.10.2013

(ख) पारेषण टैरिफ के संबंध में जारी आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	**याचिका क्रमांक 88, वर्ष 2012** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर द्वारा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण	10.04.2013
2	म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा दायर **याचिका क्रमांक 45, वर्ष 2013** के अंतर्गत 400 किलोवोल्ट, सतपुड़ा–आष्ठा पारेषण लाइन परियोजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा निर्धारित युनिटरी चार्ज संबंधित आदेश	08.10.2013
3	म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा दायर **याचिका क्रमांक 33, वर्ष 2013** के अंतर्गत म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के स्पेशल इकोनोमिक जोन (एस.ई.जेड) हेतु आवंटित पारेषण क्षमता 12 मेगावाट से 18 मेगावाट होने से वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 के लिये पारेषण क्षमता के पुर्न आवंटन हेतु आदेश	21.10.2013
4	**याचिका क्रमांक 75, वर्ष 2012** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन आदेश	11.11.2013

(ग) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	याचिका क्रमांक 38, वर्ष 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के लिये (स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पीथमपुर) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	10.09.2013
2	याचिका क्रमांक 65/2009,(म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर), 43/2010 (म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर) तथा 06/2010 (म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल)के अंतर्गत खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सत्यापन आदेश	06.02.2014
3	याचिका क्रमांक 58, वर्ष 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के लिये (स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पीथमपुर) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	18.02.2014

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय दर निर्धारण हेतु प्रस्तुत याचिका क्रमांक 04 वर्ष 2014 का परीक्षण भी किया गया।

(घ) गैर परम्परागत स्त्रोत से प्राप्त विद्युत हेतु टैरिफ आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	बगास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति	01.04.2013
2	बायोमास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति के आदेश दिनांक 02.03.2012 का पुनरीक्षण	03.05.2013
3	लघु जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति	14.05.2013
4	म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति	01.10.2013
5	सौर ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु आदेश दिनांक 01.08.2012 को जारी रखने संबंधी आदेश	25.03.2014

1.5 उपभोक्ताओं के हित संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाये जाने की दृष्टि से, आयोग नियमित रूप से विद्युत कंपनियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करता रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 42 याचिकाऐं, जिनमें 04 स्व–प्रेरणा याचिकाएं सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गईं। पूर्व वर्ष की 24 याचिकाएं भी अवशेष थीं। इस प्रकार, कुल 66 याचिकाओं में से 39 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि अवशेष 27 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2014–15 में जारी रहेगी।

1.7 आयोग की संरचना

श्री राकेश साहनी आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 22.09.2010 से कार्यरत हैं। इसी प्रकार आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री ए.बी. बाजपेयी दिनांक 11.12.2012 से तथा श्री आलोक गुप्ता दिनांक 02.01.2013 से कार्यरत् है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

अध्याय – 2

मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की प्रमुख विशेषताएँ

आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30 अगस्त 2013 को अधिसूचित की गई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैः–

1. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 3.4

विभिन्न संविदा मांगों के लिए विद्युत प्रदाय की वोल्टेज सामान्यतः निम्नानुसार होगीः

विद्युत प्रदाय वोल्टेज (Supply Voltage)	न्यूनतम संयोजित भार (Minimum Connected Load)	उच्चतम संयोजित भार अथवा संविदा मांग (Maximum Connected Load or Contract Demand)
230 वोल्ट	–	3 किलोवॉट

विद्युत प्रदाय वोल्टेज(Supply Voltage)	न्यूनतम संयोजित भार (Minimum Connected Load)	उच्चतम संयोजित भार अथवा संविदा मांग(Maximum Connected Load or Contract Demand)
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	**(i) मॉग आधारित टैरिफ* :** 150 अश्वशक्ति (HP) (112 किलोवाट) संविदा मांग संयोजित भार की बिना किसी उच्चतम सीमा के, जो संयोजित भार पर आधारित विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार के भुगतान के अध्यधीन होगा **(i) संयोजित भार आधारित टैरिफः** 150 अश्वशक्ति (HP) संयोजित भार

*** नोट :** 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि करने पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे, जो उस संयोजित भार तक सीमित होंगे जिसके लिये विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो।

विद्युत प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
11 किलोवोल्ट	50 किलोवोल्ट एम्पीअर	300 किलोवोल्ट एम्पीअर
33 किलोवोल्ट	100 किलोवोल्ट एम्पीअर	10,000 किलोवोल्ट एम्पीअर
132 किलोवोल्ट	5000 किलोवोल्ट एम्पीअर	50000 किलोवोल्ट एम्पीअर
220 किलोवोल्ट या इससे अधिक	40000 किलोवोल्ट एम्पीअर	–

परन्तु, यदि अनुज्ञप्तिधारी सन्तुष्ट हो कि उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों से विचलन के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है तथा इस प्रकार किया गया विचलन तकनीकी तौर पर साध्य है तो वह इसके लिये कारणों को लिखित में अभिलेखित करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

2. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.3</u>

नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए वितरण प्रसंवाही (distribution main) के विस्तार और/या तथा प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत का उपभोक्ता द्वारा भुगतान मय विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) आदि के मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में किये गये उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

3. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.13</u>

विद्युत प्रदाय के निबन्धनों तथा शर्तों के प्रयोजन से, परिसर में कोई भी भूमि, भवन अथवा संरचना शामिल होगी जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार विद्युत प्रदाय हेतु सहमति व्यक्त की गई हो। तथापि, किसी भी परिसर को पृथक परिसर माना जाएगा तथा प्रत्येक परिसर को पृथक विद्युत प्रदाय बिन्दु प्रदान किया जाएगा, यदि

(अ) वे सुस्पष्ट स्थापना तथा अमला धारित करते हों; अथवा

(ब) वे भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व या पट्टे पर धारित किये जा रहे हों; अथवा

(स) जो ऐसी किसी विधि के अन्तर्गत अलग–अलग अनुज्ञप्तियों या पंजीकरणों के अंतर्गत आते हों, जहां यह प्रक्रिया लागू हो अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से सुसंबद्ध अभिलेख धारित करते हों, जो उन्हें पृथक से सुस्पष्ट परिसर (घरेलू श्रेणी परिवारों हेतु) के रूप में चिन्हांकित करते हों।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय (Supply to different categories of Consumers)

किसी भी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अर्हता के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष एक आवेदन निर्दिष्ट प्ररूप में पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

4. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.28</u>

अधोसंरचना के विकास के प्रयोजन से विद्युत वितरण प्रसंवाहियों (distribution mains) के विस्तार हेतु, बहुउपभोक्ता संकुल (Complex) के भार की गणना निम्न आधार पर की जाएगी {क्षेत्रफल वैयक्तिक इकाई का निर्मित क्षेत्रफल (built up area)दर्शाता है}:

	<u>क्षेत्रफल</u>	**<u>भार</u>**
(ए)	500 वर्ग फीट तक	2 किलोवॉट
(बी)	प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्ग फीट या 500 वर्ग से अधिक उसके भाग के निर्मित क्षेत्रफल के लिए आधा (0.5) किलोवॉट भार जोड़ा जाएगा।	

उत्थापक (lift), जल उद्वाहक (water pump),पार्किंग प्रकाश व्यवस्था, इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार विकासक/भवन निर्माता/समिति/ उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के अनुसार लिया जायेगा । तत्पश्चात, यदि भवन निर्माता/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता मकानों या भवनों का निर्माण विक्रय हेतु करते हैं तो भार का पुनर्आकलन उपरोक्त उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान समय–समय पर पुनर्आंकलित भार पर आधारित पूर्व में भुगतान किये गये प्रभारों को घटा कर, यदि वे लागू हों, इस मद के अन्तर्गत किया जाएगा।

बहुउपभोक्ता संकुलों के भार निर्धारण के बारे में भार आकलन की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों की समय–समय पर वसूली में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से है। तथापि, प्रतिभूति निक्षेप की गणना वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करते समय उसके द्वारा घोषित भार एवं संलग्न

परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्नवास/पुर्नव्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित बहुउपभोक्ता संकुलों को उपरोक्त प्रावधानों में भार संबंधी गणना के प्राक्कलन से छूट प्रदान की जाएगी । ऐसे बहुउपभोक्ता संकुलों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाएगा ।

5. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.52</u>

यदि तकनीकी रूप से साध्य हो, तो अनुज्ञप्तिधारी, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार उपभोक्ता के अनुरोध पर उससे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान प्राप्त कर 24 घंटे की सूचना पर अस्थायी विद्युत प्रदान कर सकेगा।

6. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.53</u>

उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय के संबंध में, उपभोक्ता से विनिर्दिष्ट प्ररुप में, मय वांछित अभिलेखों के, आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की साध्यता की सूचना के संबंध में निरीक्षण की तिथि की सूचना लिखित में पन्द्रह दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय की साध्यता की जांच करेगा तथा साध्य पाये जाने पर विद्युत प्रदाय का बिन्दु निर्धारित करेगा। उपभोक्ता को अपने परिसर में वांछित क्षमता का ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र स्वयं के व्यय पर स्थापित करना होगा। निम्नदाब से उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में उपभोक्ता को वांछित क्षमता का पृथक ट्रांसफार्मर उपभोक्ता परिसर के भीतर स्थापित करना होगा तथा उसे पूर्व में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मर/निम्नदाब तथा उच्चदाब तन्तुपथ (लाईन) सम्पत्ति पर दावा किये बगैर, इन्हें स्वयं के व्यय पर हटाना होगा। अनुज्ञप्तिधारी जहां उचित समझे, लाईन के अंतिम छोर पर विस्तार (span) के लिये 'एरियल बन्च्ड केबल (Aerial Bunched Cable)' के उपयोग के लिये जोर दे सकता है, जिसका व्यय उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा।

7. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.62</u>

ऐसे प्रकरणों में, जहां विस्तार कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक माह के भीतर विद्युत प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करेगा {जो आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित शर्तों (Force Majeure Conditions) के अध्यधीन होगा} जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की

धारा 43(1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका क्रियान्वयन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित विनिर्दिष्ट प्ररूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के साथ आवश्यक प्रभारों के भुगतान तथा अन्य अनुपालन संबंधी अभिलेखों के प्राप्त होने पर किया जाएगा।

8. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.63</u>

ऐसे प्रकरणों में जिनमें तन्तुपथ (line) अथवा उपकेन्द्र (Sub-station) का विस्तार अथवा संयंत्र की स्थापना अथवा ट्रांसफार्मर की स्थापना अथवा उपकेन्द्र की रूपान्तरण क्षमता (transformation capacity) में वृद्धि अथवा तन्तुपथों की क्षमता में वृद्धि किया जाना अपेक्षित हो, संयोजन को निम्न तालिका में दर्शाई गई समय सीमाओं के अन्तर्गत संयोजन प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा {जो आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित शर्तों (Force Majeure conditions) के अध्यधीन होगा} जिसका क्रियान्वयन सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति तथा आवश्यक प्रभारों के भुगतान तथा समस्त औपचारिकताएं, जैसे कि अनुबंध के निष्पादन, आदि के पूर्ण किये जाने पर किया जाएगा।

सेवा संयोजन का प्रकार	**उपभोक्ता को सेवा संयोजन प्रदान करने हेतु निर्धारित समय–सीमा**
निम्नदाब संयोजन (LT Connection) (अ) कृषि संयोजन को छोड़कर बाकी समस्त संयोजन (ब) कृषि संयोजन, ऐसे मौसम में जब कृषि भूमि के लिये स्पष्ट पहुंच उपलब्ध हो (स) कृषि संयोजन, ऐसे मौसम में जब कृषि भूमि के लिये स्पष्ट पहुंच उपलब्ध नहीं हो	(अ) आवेदन की प्राप्ति से 60 दिवस के भीतर (ब) आवेदन की प्राप्ति से 90 दिवस के भीतर (स) पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर, 90 दिवस के भीतर
उच्चदाब संयोजन (HT Connection)	पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर, 90 दिवस के भीतर
अति उच्चदाब संयोजन (EHT Connection)	पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर, 180 दिवस के भीतर

9. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.64</u>

आयोग, कारणों को लिखित रूप में अभिलेखित कर, उपरोक्त निर्धारित की गई समयसीमाओं से विचलन कर सकेगा यदि आयोग के मतानुसार विचलन हेतु ऐसे परिस्थितिजन्य कारण हों। ऐसे निर्देश आयोग के समक्ष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका दायर करने पर आयोग के एक आदेश के

माध्यम से जारी किये जाएंगे। यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समयसीमा के भीतर विद्युत प्रदाय करने में चूक करता हो तो उसे अधिनियम धारा 43 (3) के अन्तर्गत अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

10. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 5.4</u>

यदि किसी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक सामान्य संभरक (feeder) के अतिरिक्त उसके अनुरोध किये जाने पर पृथक संभरक से भी विद्युत प्रदाय किया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त पृथक संभरक को ''समर्पित संभरक'' कहा जाएगा। इस प्रकार के अनुरोध संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता परिसर में समर्पित संभरक को स्थापना हेतु गुण–दोष (merit) के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा । यदि साध्य हो तो उपभोक्ता को समर्पित संभरक प्रदाय किया जाएगा एवं उपभोक्ता को इसके लिये म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में निर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। समर्पित संभरक का विस्तार विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के प्रारम्भिक बिन्दु तक किया जाएगा।

11. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 6.1</u>

उपभोक्ता तथा सामान्य रूप से आम जनता की सुरक्षा के लिये भी यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली की स्थापना (वायरिंग कार्य) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 तथा समय–समय पर यथासंशोधित एवं अन्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप हो तथा तन्तुपथ स्थापना प्रणाली संबंधी कार्य को अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित किया जाए। तन्तुपथ स्थापना में उपयोग की गई सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्डों या इसके समतुल्य के अनुसार होगी। तन्तुपथ प्रणाली में उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्री, जहां लागू हो, आईएसआई चिन्हित होगी। जैसे ही उपभोक्ता की विद्युत स्थापना का कार्य सभी प्रकार से पूर्ण हो जाता है तथा उपभोक्ता के ठेकेदार द्वारा इसका परीक्षण कर लिया जाता है, उपभोक्ता को उसके ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गया परीक्षण–प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करना होगा। इस उद्देश्य हेतु उपभोक्ता द्वारा परीक्षण–प्रतिवेदन प्ररूप अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

12. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 6.13</u>

समस्त निम्नदाब स्थापनाएं जिनमें वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयोजित भार कुल संयोजित भार के 25 प्रतिशत से अधिक हो उनमें उचित क्षमता के संधारित्र (Capacitor) का होना अनिवार्य है,

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) 80 प्रतिशत से कम न हो। ऊर्जा कारक संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किये गये अधिभार का भुगतान करना होगा। जब तक पर्याप्त क्षमता के संधारित्र (कैपेसिटर) की स्थापना नहीं कर दी जाती है, किसी भी संयोजन को स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

13. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 6.14

सिंचाई पम्प सैट वाले उपभोक्ता सहित ऐसा प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके संयोजित भार में 3 ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) अथवा इससे अधिक की क्षमता वाली इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर निम्नदाब वाले शन्ट संधारित्र (Shunt Capacitor) स्थापित करने को अपनी मोटर के टर्मिनलों के बीच नीचे दी गई सूची के अनुसार स्थापित करने की व्यवस्था करेगा । वह उपभोक्ता जिसके निम्नदाब संयोजन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये मीटर में ऊर्जा कारक अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है, वह निम्न क्षमता (रेटिंग) में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार संधारित्रों (Capacitors) को स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा । तथापि, निम्न तालिका में दर्शाये गये संधारित्रों की क्षमता किसी भी उपभोक्ता को 0.8 न्यूनतम औसत ऊर्जा कारक के परिपालन को सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत होने से नहीं रोकेगी :

क्रमांक	इन्डक्शन मोटर की क्षमता (रेटिंग)	निम्नदाब संधारित्र की के.व्ही.ऐ. आर. क्षमता (रेटिंग)
1	3 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	1
2	5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 7.5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	2
3	7.5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 10 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	3
4	10 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 15 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	4
5	15 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 20 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	5
6	20 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 30 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	6

7	30 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 40 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	7
8	40 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 50 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	8
9	50 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 100 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	9

वह उपभोक्ता जिसके निम्न–दाब संयोजन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये मापयन्त्र (मीटर) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान हैं, वह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा स्थापित किये गये संधारित्र (कैपेसीटर) 80 प्रतिशत तथा इससे अधिक ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) संधारित रखें।

ऐसे निम्न–दाब संयोजन(ों) पर जहां 3 ब्रेक अश्वशक्ति या उससे अधिक क्षमता की इंडक्शन मोटर/मोटरें स्थापित की गई हैं, को विद्युत प्रदाय तब तक अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के संधारित्र स्थापित न कर दिये जाएं।

14. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 6.15</u>

उपरोक्त वर्णित उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे सभी निम्नदाब उपभोक्ता, जिनका भार 50 किलोवॉट या इससे अधिक है, समुचित क्षमता का संधारित्र (कैपिसिटर) स्थापित करेंगे, ताकि समय–समय पर जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा प्रदाय विद्युत–दर (टैरिफ) में किये गये उल्लेख अनुसार 80 प्रतिशत या इससे अधिक ऊर्जा कारक सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा कारक सन्तोषजनक न पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये अर्थदण्ड (Penalty) का भुगतान करना होगा।

15. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 6.16</u>

कोई निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संबंध में स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) में ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है तथा जो पूर्व में निर्दिष्टानुसार निम्नदाब संधारित्र (कैपेसीटर) स्थापित नहीं करता है अथवा इन संधारित्रों (कैपेसीटरों) को चालू स्थिति में संधारित नहीं करता है, उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि इसे समय–समय पर जारी विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में निर्दिष्ट किया जाए । कोई निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके प्रकरण में, स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) में ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर)

अभिलेखन वैशिष्ट्य विद्यमान है, परन्तु समुचित संधारित्रों (कैपेसीटरों) के स्थापित किये जाने पर भी मापयन्त्र में किये गये अभिलेख अनुसार विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) संधारित नहीं करता है उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि मापयन्त्र (मीटर) द्वारा अभिलिखित किया गया हो तथा जैसा कि इसे समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया जाए।

16. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.10</u>

यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के दौरान संविदा मांग में एक ही बार कमी को अनुज्ञेय किया जा सकेगा । संविदा मांग में कमी, संविदा मांग, जो आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदित की गई हो, के 50% (पचास प्रतिशत) तक ही सीमित की जा सकेगी, परन्तु कम की गई संविदा मांग इस संहिता के अध्याय–3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत न्यूनतम संविदा मांग से कम न होगी । एक बार भुगतान किये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (supply affording charges) तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार लौटाये नहीं जाएंगे।

17. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.14</u>

जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने को स्वीकृति प्रदाय कर दी जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) का निष्पादन किया जाएगा । संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी प्रभाव को अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात उपभोक्ता को अन्तरित कर दिया जाएगा।

18. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.19</u>

कोई भी उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसको प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा ।

19. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.20</u>

यदि अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय प्रणाली में व्यवधान आता है तो परिस्थितियों के औचित्य के अनुसार विद्युत प्रदाय में कटौती (curtail) की जा सकेगी, या पृथक–पृथक कालखण्डों में व्यवधान के साथ (stagger) प्रदाय की जा सकेगी या बंद भी की जा सकेगी। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय प्रणाली के नियतकालिक रखरखाव हेतु भी उपभोक्ताओं को उचित सूचना देने के पश्चात् उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की कटौती, पृथक–पृथक कालखण्डों में व्यवधान के साथ प्रदाय या पूर्णतया अवरूद्ध करके भी कर सकेगा।

20. **विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.23**

अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य विद्यमान अनुबन्ध को यदि संशोधित/परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो ऐसा एक अनुपूरक अनुबन्ध (supplementary agreement) क माध्यम से किया जा सकेगा।

21. **विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.30**

यदि उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग के बारे में अनुबन्ध का निष्पादन चरणबद्ध रूप से किया गया हो तथा संविदा मांग को पुनः चरणबद्ध/अनुसूचीबद्ध करने का इच्छुक हो, तो इसके लिये उपभोक्ता को अनुमति प्रदान की जा सकती है परन्तु संविदा मांग के इस प्रकार के पुनः चरणबद्ध/अनुसूचीबद्ध किये जाने के फलस्वरूप संविदा मांग में कमी नहीं की जा सकेगी।

22. **विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.32**

उपभोक्ता को उपरोक्त सुविधा अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के दौरान केवल एक बार ही अनुज्ञेय की जाएगी।

23. **विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.33**

ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ता संस्पर्शी भूमि (contiguous land) पर विद्यमान पृथक संयोजनों के संविलियन के लिये विकल्प प्रस्तुत करता हो तथा निम्न निबन्धनों तथा शर्तों की भी तुष्टि करता हो, तो उसे वांछित अभिलेखों के प्रस्तुत करने के उपरांत इस संबंध में नवीन अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के बाद ऐसा किये जाने की अनुमति इस शर्त के अन्तर्गत प्रदान की जा सकेगी कि संविदा मांग खण्ड 3.4 के अन्तर्गत दर्शाई गई एक विशिष्ट वोल्टेज के अध्यधीन निर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक न होगी :

(अ) जो एक ही स्थापना तथा पदाधिकारी (staff) धारित करते हों ;

(ब) जो एक ही व्यक्ति/कम्पनी के स्वामित्व अथवा पट्टे पर स्थित हों ;

(स) किसी प्रयोज्य कानून/संविधि के अन्तर्गत एकल अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के अन्तर्गत आते हों ;

(द) जिनका संविलियन के बाद विद्युत प्रदाय का एक सांझा बिन्दु हो जो एक ही स्थान पर स्थित हो ; तथा

(ई) इनमें से किसी भी विद्यमान संयोजन के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान लंबित न हो।

24. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 7.34</u>

ऐसे प्रकरणों में, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलबधता प्रभारों (supply affording charges), जैसा कि इन्हें मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये सयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, विद्यमान संयोजनों के अनुबन्धों के अनुसार, कुल संविदा मांग के लिये फिर से इन प्रभारों को भुगतान करने की आवश्यकता न होगी।

25. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 9.12</u>

उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उपभोक्ता का विधिमान्य उत्तराधिकारी, (legal heir) ऐसे उपभोक्ता पर बकाया राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। विधिमान्य उत्तराधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर संयोजन को अपने नाम पर परिवर्तित कराने हेतु भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

26. <u>विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 10.2.2</u>

विद्युत चोरी के किसी प्रकरण के पता लगने पर प्राधिकृत अधिकारी, एतद् पश्चात् इस अध्याय में निर्दिष्ट किये गये सूत्रों/प्रक्रिया के अनुसार या तो वह सम्पूर्ण अवधि जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई चोरी होना पाया गया है अथवा निरीक्षण तिथि से ठीक 12 (बारह) माह पूर्व की अवधि हेतु, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार ऊर्जा की खपत का निर्धारण करेगा। प्राधिकृत अधिकारी निर्धारण आदेश लागू विद्युत–दर से दुगुनी दर पर तैयार करेगा (जिसमें स्थाई प्रभार, ऊर्जा प्रभार तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार शामिल होंगे) तथा इसे उक्त व्यक्ति को तामील कर, उससे उचित अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

किसी नियमित मीटरीकृत संयोजन के प्रकरण में, जहां विद्युत की चोरी होने का प्रकरण पाया गया हो, विद्युत की चोरी का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा :

(i) ऐसे प्रकरण में जहां श्रेणी/प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना न पाया गया हो तथा आकलित खपत न्यूनतम खपत/वास्तविक अभिलेखित खपत से अधिक हो, पूर्व में बिल की गई खपत को विधिवत समायोजित करते हुए, अवशेष खपत का देयक विद्युत–दर (टैरिफ) से दुगुनी दर पर तैयार किया जाएगा।

(ii) ऐसे प्रकरण में जहां श्रेणी/प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना पाया गया हो तथा आकलित खपत न्यूनतम खपत/वास्तविक अभिलेखित खपत से अधिक हो, वहां प्रथमतः सामान्य

विद्युत–दर से दुगुनी दर पर देयक तैयार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् पूर्व में भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा।

(iii) शासन द्वारा अधिरोपित शुल्क (duty) तथा उपकर (cess) या अन्य किसी प्रयोज्य प्रभारों/करों का देयक सामान्य दर पर समस्त आकलित यूनिटों पर इस मद के अन्तर्गत पूर्व में बिल की गई राशि का यथोचित समायोजन करते हुए तैयार किया जाएगा।

(iv) विद्युत चोरी के आकलन के बारे में उपरोक्त किये गये प्रावधान के अलावा, टैरिफ आदेश में प्रावधान किये गये अर्थदण्ड जो ऐसे आकलन के बारे में देय हों, को भी अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, चोरी के संबंध में आकलित खपत पर प्रोत्साहन के कारण किसी वृद्धि को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

27. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 11.14

इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई के उत्पन्न होने पर मामला आयोग को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रभावित पक्षों से विचार–विमर्श करके कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन सामान्य अथवा विशेष आदेश पारित करेगा, और यह आदेश अधिनियम या तत्समय में प्रचलित विद्युत प्रदाय से संबंधित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं होगा।

अध्याय – 3

वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा। तदनुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं । वर्ष 2013–14 के दौरान जारी विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है ।

अध्याय – 4

अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड

4.1 प्रतिवेदन की विचाराधीन अवधि में, आयोग ने उपभोक्ता सशक्तीकरण की दिशा में उपभोक्ताओं द्वारा उनके अधिकारों के प्रयोग तथा समग्र विकास हेतु उपभोक्ताओं को उनके दायित्वों के प्रति जागरूकता लाये जाने के संबंध में सक्रियता से सकारात्मक कदम उठाये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ता सेवाओं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्डों से संबंधित विषयों के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

अनुपालन मानदण्ड

4.2 आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों हेतु यथासंशोधित अनुपालन मानदण्डों संबंधी विनियम दिनांक 23 नवम्बर 2012 को राजपत्र में अधिसूचित किये गये हैं। राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों हेतु प्रचालन अनुपालन मानदण्ड, यथा फ्यूज ऑफ कॉल का निवारण, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित किये जाने हेतु त्रुटियों में सुधार, मीटर (मापयंत्र) संबंधी शिकायतें, बिलिंग की त्रुटियों में सुधार, रूके हुए/ खराब मीटरों तथा जले हुए ट्रांसफामरों को बदलने, उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण आदि हेतु निर्दिष्ट समय–सीमाओं को भी निर्धारित किया गया है। इन विनियमों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं में होने वाले विलंब के कारण उपभोक्ताओं को भुगतान–योग्य क्षतिपूर्ति को भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

4.3 आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने बाबत् कई कदम उठाने में उसके द्वारा पहल की गई है। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

(1) **विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ :–** विद्युत सुधारों के उद्धदेश्यों में से एक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाना है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण को गति प्रदान किये जाने की सुविधा हेतु आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। विद्युत **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** की स्थापना दिनांक 15 मई, 2008 को आयोग कार्यालय के अंतर्गत आयोग के

सलाहकार के पर्यवेक्षण में की गई। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** में प्राप्त प्रकरणों के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

(क)	दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	40
(ख)	वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	212
(ग)	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल शिकायतों की संख्या	252
(घ)	वर्ष के दौरान शिकायतों के निपटारे की संख्या	201
(ड)	दिनांक 31.3.2014 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	51

(2) केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना :– आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेंटर्स) की स्थापना की गई है। ये शिकायत निवारण केन्द्र चौबीस घंटे कार्यरत् हैं तथा उपभोक्ताओं हेतु निरंतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिसमें इन शहरों से वैबसाईट के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना भी सम्मिलित है।

(3) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम :– राज्य में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों की स्थापना माह अक्टूबर/नवंबर, 2004 में की गई थी। वर्तमान में राज्य में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक वितरण कंपनी ने एक–एक फोरम की स्थापना की है। इन फोरमों के मुख्यालय इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में स्थित हैं। इन फोरमों द्वारा, शिकायतों के निपटान हेतु परिवेदित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न अन्य स्थानों पर भी सुनवाईयां आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2013–14 की अवधि में फोरमों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण **परिशिष्ट–3(अ), 3(ब) तथा 3(स)** में दर्शाये गये हैं।

(4) फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निवारण की स्थिति की ऑनलाईन समीक्षा :– वर्ष 2008 से शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किये जाने बाबत् ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। शिकायत निवारण की वस्तुस्थिति का अवलोकन इंटरनेट के माध्यम से आयोग की वैबसाईट www.mperc.nic.in पर किया जा सकता है।

(5) विद्युत लोकपाल :– राज्य में विद्युत लोकपाल का पद सृजित किया गया है। वे शिकायतकर्ता जो फोरम द्वारा पारित निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रकरणों की स्थिति का प्रगति प्रतिवेदन **परिशिष्ट–4** पर दर्शाया गया है।

4.4 **विनियमन परिपालन :–** आयोग द्वारा विनियमन परिपालन पर विनियम जारी किये गये हैं, जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों को परिपालन के प्रतिवेदक अधिकारी, जो कि आयोग के साथ नियमित आधार पर विचार–विमर्श करेंगे तथा जो विनियमन परिपालन सबंधी विषयों पर नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग विभिन्न विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों से संबंधित परिपालन की अद्यतन स्थिति की नियतकालिक रूप से समीक्षा करता रहा है तथा विनियमन परिपालन में सुधार लाये जाने की दृष्टि से इस हेतु अग्रिम कदम भी उठाता रहा है। वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वार्षिक समीक्षा की गई। आयोग आगे और सुधार लाये जाने की दृष्टि से विद्युत वितरण कंपनियों को आयोग की अभ्युक्तियां/ दिशा–निर्देश प्रेषित करता है।

परिशिष्ट – 1

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विवरण
(वर्ष 2013–14 की स्थिति में)

सरल क्र.	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल समापन की तिथि
1	श्री राकेश साहनी	अध्यक्ष	22.09.2010	25.01.2015
2	श्री ए.बी. बाजपेयी	सदस्य	11.12.2012	10.12.2017
3	श्री आलोक गुप्ता	सदस्य	02.01.2013	01.01.2018

परिशिष्ट–2

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची

स.क्रं.	विनियम का नाम	अधिसूचना क्रमांक	जारी कने की दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
01	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में प्रथम संशोधन	1288	03 मई, 2013	10 मई, 2013	एआरजी–3 (I) (i), वर्ष 2013
02	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013	2164	07 अगस्त, 2013	30 अगस्त, 2013	आरजी–I (i) वर्ष 2013
03	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में द्वितीय संशोधन	2545	30 सितंबर, 2013	04 अक्टूबर, 2013	एजी–10 (ii), वर्ष 2013
04	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 में प्रथम संशोधन	3124	13 दिसंबर, 2013	20 दिसंबर, 2013	एआरजी–26 (II) (i), वर्ष 2013
05	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में पंचम संशोधन	3232	31 दिसंबर, 2013	03 जनवरी, 2014	एआरजी–31 (I) (V), वर्ष 2013

वर्ष 2013–14 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2014 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	ग्वालियर	30	32	56	06
2	दतिया	–	–	–	–
3	मुरैना	–	02	02	–
4	भिण्ड	01	03	02	02
5	गुना	–	01	–	01
6	अशोकनगर	–	01	01	–
7	शिवपुरी	–	–	–	–
8	श्योपुर	–	–	–	–
9	भोपाल	08	26	27	07
10	विदिशा	07	02	08	01
11	होशंगाबाद	02	04	04	02
12	बैतूल	–	01	01	–
13	राजगढ़	–	–	–	–
14	सीहोर	01	02	03	–
15	रायसेन	01	03	04	–
16	हरदा	–	–	–	–
	कुल योग	50	77	108	19

परिशिष्ट–3 (ब)

वर्ष 2013–14 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.14 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इन्दौर	04	58	56	06
2	धार	03	05	06	02
3	खरगौन	00	16	10	06
4	बड़वानी	00	01	01	00
5	खण्डवा	04	03	07	00
6	बुरहानपुर	02	09	10	01
7	झाबुआ	00	02	02	00
8	अलिराजपुर	00	01	01	00
9	उज्जैन	08	80	78	10
10	रतलाम	00	06	06	00
11	मंदसौर	00	00	00	00
12	नीमच	00	11	11	00
13	देवास	01	16	17	00
14	शाजापुर	00	03	03	00
15	आगर	–	03	03	00
	कुल योग	22	214	211	25

परिशिष्ट –3 (स)

वर्ष 2013–14 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.14 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	जबलपुर	02	84	84	02
2	कटनी	–	19	19	–
3	मंडला	–	19	19	–
4	डिंडोरी	–	03	03	–
5	नरसिंहपुर	–	43	43	–
6	सिवनी	01	28	29	–
7	बालाघाट	–	09	09	–
8	छिंदवाडा	–	12	12	–
9	रीवा	–	20	20	–
10	सतना	02	36	38	–
11	सीधी	–	01	01	–
12	शहडोल	–	11	11	–
13	उमरिया	–	12	12	–
14	अनूपपुर	–	07	07	–
15	सिंगरौली	–	07	07	–
16	सागर	–	18	18	–
17	दमोह	–	12	12	–
18	छतरपुर	–	11	11	–
19	पन्ना	–	06	06	–
20	टीकमगढ़	–	06	06	–
	कुल योग	05	364	367	02

परिशिष्ट–4

विद्युत लोकपाल के समक्ष शिकायतों के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति में प्रगति प्रतिवेदन
(दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक)

शिकायत की प्रकृति	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत	एक माह से कम की अवधि से लंबित	एक माह से अधिक परन्तु तीन माह तक लंबित	तीन माह से अधिक परन्तु छः माह तक लंबित	छः माह से अधिक अवधि से लंबित	कुल लंबित (संख्या)
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
वोल्टेज संबंधी शिकायतें	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/ शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
मीटर संबंधी शिकायतें	**4**	**11**	**12**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**
विद्युत देयक संबंधी शिकायतें	**29**	**15**	**39**	**3**	**1**	**0**	**1**	**5**
विद्युत प्रदाय का असंयोजन तथा पूर्व संयोजन संबंधी	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	**10**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग/भार में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	**22**	**7**	**25**	**1**	**1**	**0**	**2**	**4**
योग	**68**	**35**	**91**	**04**	**05**	**0**	**03**	**12**